



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

#### ➤ जयपुर में आकस्मिक चैकिंग में वन विभाग के कार्मिकों के पास मिली संदिग्ध 1 लाख 5 हजार रुपये की नगदी

जयपुर, 01 मई, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये वन विभाग के पाँच कार्मिकों को अरण्य भवन में कार से आते समय आकस्मिक चैकिंग के दौरान तलाशी ली तो उनसे 1 लाख 5 हजार रुपये से अधिक की नगद राशि मिली, जिसे संदिग्ध रिश्वत राशि मानते हुये जब्त किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को गोपनीय सूचना मिली थी कि वन विभाग के कुछ कार्मिक रिश्वत की बड़ी राशि एकत्र कर कार में बूंदी से अरण्य भवन, जयपुर आ रहे हैं।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम पुलिस निरीक्षक श्री छोटीलाल के आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही करते हुए अरण्य भवन, जयपुर पर संदिग्ध कार को रूकवाया और तलाशी ली। कार में संदिग्ध (1) राजकुमार शर्मा वन रक्षक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी (2) शक्ति प्रकाश वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक, बूंदी (3) भैरूलाल गोस्वामी वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक, बूंदी (4) राम सागर गुर्जर वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक, बूंदी (5) महावीर प्रसाद रैगर सहायक वनपाल रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी मिले, जिनकी तलाशी ली गई तो संदिग्ध राजकुमार शर्मा वन रक्षक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी के पास 1 लाख 5 हजार रुपये की संदिग्ध नगद राशि मिली। इस राशि के संबंध में कार्मिक से स्पष्टीकरण लिया गया तथा मौके पर ही उसकी सत्यता की जाँच की गई, तो प्रथमदृष्टया सही नहीं पाया जाने पर संदिग्ध राशि को जब्त किया गया है। मामले में संदिग्ध कार्मिकों से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।